



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-13052026-272500  
CG-TL-E-13052026-272500

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2296]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 2296]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2026/VAISAKHA 21, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 7 मई, 2026

का.आ. 2387(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20(ए) की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), दिनांक 10 अक्तूबर, 2025 (इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित) को प्रकाशित भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), संख्यांक का.आ. 4634 (ई), दिनांक 09 अक्तूबर, 2025 की अधिसूचना द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के तब का तिरुपति जिला में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् "गूडूर-रेणिगुंटा स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन (83.17 किमी.)" के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

और जबकि, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत दैनिक समाचार पत्रों, "साक्षी (तेलुगु)", "आंध्र प्रभा (तेलुगु)" और "द न्यू इंडिया एक्सप्रेस (अंग्रेजी)" में 18 अक्तूबर, 2025 को के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर-III, निर्माण संगठन, सिकंदराबाद द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और जबकि, आपत्तियां संवैधानिक समय सीमा के भीतर दर्ज की गईं. उक्त अधिनियम के धारा 20(डी) अंतर्गत नोटिस जारी कर आपत्तियों की जांच की गई और पूछताछ आयोजित की गई. सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का निपटान किया गया;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्र सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी.

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में विशेष रेलवे परियोजना, "गूडूर-रेणिगुंटा स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन (83.17 किमी.)" के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण.

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण : यात्री और माल सुविधा के लिए विशेष रेलवे परियोजना, "गूडूर-रेणिगुंटा स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन (83.17 किमी.)" के बीच बाईपास लाइन.

गांव : जयंपु				मंडल: बालयपल्ली		जिला : तिरुपति	
क्र. सं.	सर्वेक्षण सं.	एलपी एम स.	कुल क्षेत्र एकड़	अधिग्रहण का क्षेत्र एकड़	हितप्रद व्यक्ति का नाम और पता/सरकारी भूमि का विवरण	पेड़ों, संरचनाओं आदि का विवरण यदि कोई हो	अभ्युक्तियाँ (सरकारी/पट्टा भूमि/ डीकेटी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	-	476.44	10.38	चरागाह भूमि	-	सरकारी
2.	199	-	0.78	0.04	सड़क	-	सरकारी
3.	229-17	-	1.4	0.19	नूरा बालगुरुनादम सुपुत्र वेंकटसुब्बय्या	-	डीकेटी
4.	229-20	-	0.18	0.06	तोडेति रामकृष्ण रेड्डी	-	पट्टा
5.	232-6	-	0.24	0.03	जयम्पु रंगम्मा पत्नी चिना गुरुस्वामी	-	सर्विस इनाम (मंगलि)
6.	232-8	-	1.09	0.23	1.गोल्ला वासुदेव राव सुपुत्र चेंचु नरसय्या 2.मन्नुरु सीता रामम्मा सुपुत्र पुल्ला रेड्डी	-	पट्टा
7.	234-7ए	-	0.44	0.2	मल्लारपु गुरवय्या सुपुत्र पेद्दा गुन्नय्या	-	पट्टा

8.	234-8ए	-	1.01	0.2	मल्लारपु गुन्नय्या सुपुत्र गुरवय्या	-	पट्टा
			कुल	एकड़ 11.33 सेंट			

[फा. सं. W.Con.182/SRP-18/GDR-RU/24-25/268/20E/070526]

के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण -III

**MINISTRY OF RAILWAYS****(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 7th May, 2026

**S.O. 2387(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4634 (E) dated the 09th October 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section(ii), dated the 10th October 2025 (here in after referred to as the said notification) and issued under sub-section(1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989(24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Third line between Gudur - Renigunta stations (83.17 Km)”, in Tirupati district in the state of Andhra Pradesh

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Sakshi(Telugu), Andhra Prabha(Telugu) and The New India Express (English)” on 18th October 2025 by K.Suryanaryana, Chief Engineer-III, Construction Organization Secunderabad under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas objections have been filed within the statutory time limit. The objections were examined and enquires were conducted by issuing notices under section 20(D) of the said Act. The objections were disposed by Competent Authority.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, “Third line between Gudur - Renigunta stations (83.17 Km)”, in Tirupati district in the state of Andhra Pradesh.**

**Description of Land in Acquisition: Special Railway Project, “Third line between Gudur - Renigunta stations (83.17 Km)”, for passenger and freight facility.**

Sl. No.	Survey No.	LPM No.	Total Extent Acs.	Extent under Acquisition Acs.	Name & address of the person interested/Details of Govt. Land	Detail s of Trees , Structures etc., if any	Remarks (Govt./Patta/DKT)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1	-	476.44	10.38	Grazing land	-	Govt
2.	199	-	0.78	0.04	Road	-	Govt

3.	229-17	-	1.4	0.19	Nura Balagurunadam s/o Venkatasubbaiah	-	DKT
4.	229-20	-	0.18	0.06	Thodeti Ramakrishna Reddy	-	PATTA
5.	232-6	-	0.24	0.03	Jayampu Rangamma w/o China Guruswamy	-	Service Inam (Mangali)
6.	232-8	-	1.09	0.23	1.Golla vasudeva rao s/o Chenchu Narsaiah, 2.Mannuru sitha ramamma s/o Pulla reddy	-	PATTA
7.	234-7A	-	0.44	0.2	Mallarapu Guravaiah s/o Pedda Gunnaiah	-	PATTA
8.	234-8A	-	1.01	0.2	Mallarapu Gunnaiah s/o Guravaiah	-	PATTA
			<b>TOTAL</b>	<b>Ac.11.33Ce</b>			

[F. No. W.Con.182/SRP-18/GDR-RU/24-25/268/20E/070526]

K. SURYANARAYANA, Chief Engineer / Construction-III